

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्रीडूंगाराम राठौड़ सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य राआउमावि, बेडल (पाली)	23.12.58	01.07.85 व0अ0	30.06.15 30 वर्ष	01.07.15 तृतीय	15600-39100 6000/-
02	श्री पुष्पेन्द्रसिंह करणात प्रधानाचार्य, राआउमावि, लिलाम्बा-रायपुर (पाली)	08.05.66	20.11.96 व्याख्याता	19.11.16 20 वर्ष	20.11.16 द्वितीय	15600-39100 6800/-
03	श्री कृपाराम आचार्य, प्रधानाचार्य, राउमावि, बरना-बिलाडा (जोधपुर)	06.08.67	27.09.95 व्याख्याता	26.09.15 20 वर्ष	27.09.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-
04	श्री कैलाशचन्द मीना प्रधानाध्यापक, राबामावि, तूंगा (जयपुर)	19.06.62	09.09.85 अध्यापक तृ.श्रेणी	08.09.15 30 वर्ष	09.09.15 तृतीय	15600-39100 6000/-
05	श्रीमती गीता राधव सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राबाउमावि, झोटवाडा (जयपुर)	01.07.54	28.10.83 व्याख्याता	27.10.13 30 वर्ष	28.10.13 तृतीय	15600-39100 6800/-
06	श्री रघुनन्दन, प्रधानाचार्य, राउमावि, हाजीपुर डडीकर (अलवर)	01.07.66	15.07.97 प्र0अ0	14.07.17 20 वर्ष	15.07.17 द्वितीय	15600-39100 6800/-
07	श्री राधेश्याम जांगीड़ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राउमावि, जीतावाला (जयपुर)	06.08.58	02.02.85 व्याख्याता	01.02.15 30 वर्ष	02.02.15 तृतीय	15600-39100 6800/-
08	श्रीमती शशि मुद्गल, प्रधानाचार्य, राबाउमावि जोबनेर (जयपुर)	15.06.60	29.09.94 प्र0अ0	28.09.14 20 वर्ष	29.09.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-
09	श्री लाखाराम पालीवाल बी0ई0ई0ओ0 रानी (पाली)	03.04.65	28.09.95 व्याख्याता	27.09.15 20 वर्ष	28.09.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-

उक्त प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। क्रम सं. 8 को एक वार्षिक वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण एसीपी एक वर्ष बाद दी गई है। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


(अशु डिल्ले)

आईएस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

कृ०प०उ०—2

क्र०:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/जय-जोध-पाली/2018-19/46
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 14-02-19

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-मुख्यालय)
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं० स०-----
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।